रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 457] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 7, 1974/कार्तिक 16, 1896
No. 457] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 7, 1974/KARTIKA 16, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DELIMITATION COMMISSION, INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November 1974

S.O. 633(E).—In pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972), an Order made by the Delimitation Commission under section 8 of the said Act in respect of the State of Tripura is hereby published:

ORDER NO. 24

In pursuance of section 8 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972), we hereby determine, on the basis of the latest census figures, and having regard to the provisions of articles 81, 170, 330 and 332 of the Constitution, the number of seats in the House of the People to be allocated to the State of Tripura as two (2) of which one (1) seat shall be reserved for the Scheduled Tribes and the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of the State as sixty (60) of which seven (7) seats shall be reserved for the Scheduled Castes and seventeen (17) seats for the Scheduled Tribes.

J. L. KAPUR, Chairman.
TARUN KUMAR BASU, Member.
T. SWAMINATHAN, Member.

[No. 282/74(2)]
By order,
P. I. JACOB, Secy.

भारत परिसीमन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1974

का० आ० 633(अ).—परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अनुसरण मे परिसीमन आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन त्रिपुरा राज्य के बारे में दिया गया आदेश एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश संख्या 24

परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 8 के अनुसरण में, नवीनतम जन-गणना के आंकड़ों के आधार पर तथा संविधान के अनुच्छेद 81, 170, 330 तथा 332 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, हम त्रिपुरा राज्य को आबंटित किए जाने के लिए लोक सभा में स्थानों की संख्या के रूप में दो (2) स्थान जिनमें से एक (1) स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगा तथा उक्त राज्य की विधान सभा के लिए समनुदेशित स्थानों की कुल संख्या के रूप में साठ (60) स्थान, जिनमें से सात (7) स्थान अनुसूचित जाति के लिए तथा सत्रह (17) स्थान अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित होंगे, एतद्द्वारा अवधारित करते हैं ।

जे० एल० कपूर, अध्यक्ष ।

तरुण कुमार बसु, सदस्य ।

ति० स्वामीनाथन्, सदस्य ।

[282/74(2)]

आदेश से,

पी० आई० जेकब, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974